फाइल नं0-71-1002/63/2023

137/2023/I/404117/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 10 अक्टूॅबर, 2023**

विषय:- केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एंव झांसी में पी0जी0 सीटों की वृद्धि हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.11.2022 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एंव झांसी में पी0जी0 सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना का फ़ण्डिग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश+राज्यांश) है। उक्त योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो हेतु पी0जी0 की स्वीकृत सीटों की संख्या एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत (रू0 करोड़ में)
1	कानपुर	55	66.00
2	झांसी	17	20.40

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उक्त योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0सं0	**मेडिकल कालेज का नाम**	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत**	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश (60**	**प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश की**	**कुल योग (केन्द्रांश+राज्यांश)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

			प्रतिशत) के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि	धनराशि	
1	रा0मे0कालेज, कानपुर	66.00	10.00	6.66	16.66
2	रा0मे0कालेज, झांसी	20.40	3.06	2.04	5.10
	योग-		13.06	8.70	21.76

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजों में पी0जी0 सीट की वृद्धि के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी। कालेजो को उक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के सापेक्ष किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
5. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला

लेखाशीर्ष: 4210031050127 (एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि (के.60-रा.40/के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि (के.60-रा.40/के.)	24 वृहत् निर्माण कार्य	7,06,00,000 (रुपये सात करोड़ छह लाख मात्र)
2	031	4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि (के.60-	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और	6,00,00,000 (रुपये छह करोड़ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		रा.40/के.)	संयंत्र	
	कुल			**13,06,00,000 (रुपये तेरह करोड़ छह लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058927 (एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	031	4210031058927 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि	24 वृहत् निर्माण कार्य	4,04,00,000 (रुपये चार करोड़ चार लाख मात्र)
2	031	4210031058927 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	4,66,00,000 (रुपये चार करोड़ छियासठ लाख मात्र)
	कुल			**8,70,00,000 (रुपये आठ करोड़ सत्तर लाख मात्र)**
महायोग				21,76,00,000 (रुपये इक्कीस करोड़ छिहत्तर लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-3-127/दस-2023-24, दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-कानपुर/झांसी।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-कानपुर/झांसी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर/झांसी।
7. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।